न्यायालय उप खण्ड अधिकारी भवानीमण्डी, जिला झालावाड़

(निर्णय बइजलास श्री छत्रपाल चौधरी, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी भवानीमण्डी)

प्रकरण संख्या 4 / प्रा0पत्र / 2022

1. लालचंद आ0 रामलाल जाति पाटीदार, निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़।
2. अशोक आ0 रामलाल जाति पाटीदार, निवासी आंवलीकलां, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़।

....प्रार्थी

बनाम

1. कालूसिंह आ. फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़।
2. रामसिंह आ. फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़।
3. नन्दसिंह आ. जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी चोरखेड़ी तहसील पचपहाड, जिला झालावाड़।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़।

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थिति :–

1. श्री अनूप पाटीदार, अभिभाषक, प्रार्थी।
2. श्री रमेशचंद सोनी अभिभाषक अप्रार्थी नं. 1 व 2
3. श्री जसवंतसिंह अभिभाषक, अप्रार्थी नं. 3

निर्णय

दिनांक 28.10.2024

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ जमाबंदी संख्या 359 नयी व 339 पुरानी में खसरा संख्या 856 की रकबा 2.2761 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के सहखातेदारी में तथा जमाबंदी खाता संख्या 370 नयी व 348 पुरानी ग्राम चोरखेड़ी में खसरा संख्या 857 की 0.5311 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के तन्हा खातेदारी में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की उक्त आराजी पर आने जाने व बैलगाड़ी, ट्रेक्टर, ट्रॉली इत्यादि लाने व ले जाने का सनातनी रास्ता चोरखेड़ी से खेताखेड़ा जाने वाले रास्ते से होकर दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नम्बर 851 की मेड़ से होते हुए खसरा नम्बर 854 तक तथा खसरा नम्बर 854 की मेड़ से पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 851 व 854 की मेड़ से होते हुए प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 856 तक पहुंचने के लिये 15 फुट चोड़ा रास्ता स्थित रहा है। प्रार्थीगण की आराजे पर पहुंचने के उक्त सनातनी रास्ते को खसरा नम्बर 854 के खातेदार अप्रार्थीगण 1 व 2 ने जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर तार फेंसिग करके बंद कर दिया है एवं प्रार्थीगण से कहा कि मेरी आराजी में पैर रखते की कोशिश की तो हाथ पैर तोड़ देंगे, जान से खत्म कर देंगे। इसी प्रकार वादग्रस्त वर्णित सनातनी रास्ता खसरा नम्बर 851 वाके ग्राम चोरखेड़ी पर अप्रार्थी नम्बर 3 ने जबरन लट्ठ व ताकत के बल पर कब्जा कर बन्द कर दिया है व निकलने नहीं दे रहा है। प्रार्थना पत्र में आगे अंकित है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की आराजी का खसरा नम्बर व मालिक पूर्व में एक ही था, उसके द्वारा बैचान होने पर प्रार्थी व अप्रार्थी ने जैसे जैसे जमीन खरीदी गई वैसे वैसे अलग नम्बर बनते गये, क्योंकि पूर्व में सभी खसरा नम्बर एक होने की वज़ह से वहां पर आने जाने का रास्ता भी एक ही है। इसलिये प्रार्थीगण ने निवेदन कि उनकी आजीविका का एक मात्र साधन कृषि ही है, प्रार्थीगण की अराजी तक जाने का रास्ता चालू नहीं हुआ तो प्रार्थीगण की आजीविका का साधन नष्ट हो जायेगा इसलिये ग्राम चोरखेड़ी तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 856 व 857 पर आने जाने, बेलगाड़ी, सामंद, ट्रेक्टर – ट्रॉली इत्यादि को लाने व ले जाने के लिये 15 फुट चोड़ा रास्ता खसरा नम्बर 851 व 854 में से प्रदान करने की कृपा करे, प्रार्थी रास्ते में आने वाली भूमि के बदले नियमानुसार प्रतिकर अदा करने को तैयार है।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार पचपहाड़ से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में बताया गया कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का रास्ता कभी भी ग्राम चोरखेड़ी से ग्राम खेताखेड़ जाने वाले रास्ते से होकर दक्षिण दिशा में आराजी खसरा नम्बर 851 की मेड़ से होते हुए खसरा नम्बर 854 तक तथा 854 की मेड़ से पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 854 व 851 की मेड़ से होते हुए कभी प्रार्थीगण की आराजी पर पहुंचने का 15 फुट चौड़ा रास्ता स्थित नहीं रहा है। प्रार्थीगण जबरन नया रास्ता कायम करना चाहते है, प्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारी को गलत व मिथ्या जानकारी देकर मौका रिपोर्ट बनवाई है। प्रार्थीगण आंवलीकलां के निवासी है जो सुविधा की दृष्टि से अप्रार्थीगण की आराजी पर नया रास्ता कायम करना चाहते हैं। जबकि प्रार्थीगण की आराजी पर आने

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner

जाने का सनातनी रास्ता अन्य खातेदारों की आराजी पर मोजूद है, जो वर्तमान में चालु है। जिसका उपयोग व उपभोग कर प्रार्थीगण अपनी आराजी पर आ जा रहे है।

प्रकरण में तहसील पचपहाड़ से रिपोर्ट मय मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी व नजरी नक्शा के प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी पर आने जाने के लिये खसरा संख्या 854 रकबा 2.3393 हेक्टेयर जो कि खातेदार कालूसिंह रामसिंह पिता फतेहसिंह जाति राजपूत निवासी बकानीखुर्द व खसरा संख्या 851 रकबा 1.3277 हेक्टेयर जो कि नन्दसिंह पिता जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी चोरखेड़ी के नाम दर्ज रिकार्ड है की मेड़ का उपयोग करते थे। परन्तु वर्तमान में मोके पर खसरा नम्बर 854 व 851 के खातेदारों द्वारा प्रार्थी को अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 856 व 857 पर आने जाने के रास्ते को रोक दिया है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। इसलिये प्रार्थी को मार्ग दिया जाना उचित रहेगा, प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपस्थित नहीं है, प्रार्थी द्वारा चाहा गया मार्ग केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं होकर आवश्यक उपयोग के लिये है।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया कि प्रार्थी की आराजी पर आने जाने का वैकल्पिक मार्ग नहीं है, रिकार्ड व तहसीलदार पचपहाड़ की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय किया जाये, इस पर वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किया कि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मोके पर मौजूद है, वर्तमान में विवादित रास्ते वाली भूमि पर बुआई भी कर रखी है, प्रार्थीगण पिछले ढाई तीन वर्षो से कहां से आते जाते रहे हैं, प्रार्थीगण सुविधा की दृष्टि से नया रास्ता कायम करना चाहते हैं, मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, अगर दिया होता तो अप्रार्थीगण मोके पर आपत्ति दर्ज करवाते, इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये, वकील अप्रार्थी संख्या 3 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण के पास ग्राम चोरखेड़ी के खसरा नम्बर 866 से होकर रास्ता है, प्रार्थीगण केवल सुविधा की दृष्टि से रास्ता मांग रहे है, अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में मोका रिपोर्ट तैया की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में संलग्न रिकार्ड, बहस वकील उभयपक्ष तथा तहसील पचपहाड़ से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों पर मनन किया मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पचपहाड़ प्रार्थीगण अपने खाते की आराजी पर आने जाने के लिये खसरा संख्या 854 व खसरा संख्या 851 की मेड़ का उपयोग करते थे। परन्तु वर्तमान में मोके पर खसरा नम्बर 854 व 851 के खातेदारों द्वारा प्रार्थी को अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 856 व 857 पर आने जाने के रास्ते को रोक दिया है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी पर आने जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। इसलिये प्रार्थी को मार्ग दिया जाना उचित रहेगा, प्रार्थी द्वारा चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है, चाहा गया मार्ग

उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner

केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं होकर आवश्यक उपयोग के लिये है, इसके अलावा प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नकल मोका रिपोर्ट पटवारी वर्ष 2022 का भी अवलोकन किया जिसमें भी प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की भूमि पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 854 व 851 की मेड़ का उपयोग पूर्व में किया जाना एवं इसे सम्बन्धित खातेदार द्वारा तार फेंसिग कर बन्द कर दिया जाना बताया गया। इससे स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत पर आने जाने के लिये खसरा नम्बर 851 व 854 की मेर का ही उपयोग करते थे, जिसे बाद में अप्रार्थीगण द्वारा बन्द कर दिया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत रिकार्ड, तहसील पचपहाड़ से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त आधारों पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीगण के खातेदारी की ग्राम चोरखेड़ी, तहसील पचपहाड़ जिला झालावाड़ में स्थित उक्त वर्णित आराजी पर आने जाने के लिये मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पचपहाड़ चोरखेड़ी खेता खेड़ा जाने वाले रास्ते से ग्राम चोरखेड़ी की अप्रार्थी संख्या 3 के खसरा संख्या 851 से 15 फुट चौड़ा रास्ता जो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 854 व अप्रार्थी संख्या 3 के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 851 की मेर से दोनो खसरों से 7.5–7.5 फुट (कुल 15 फुट) होकर खसरा नम्बर 856 तक 15 फुट चोड़ा रास्ता प्रदान किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। इसके लिये तहसीलदार पचपहाड़ को आदेशित किया जाता है कि वह प्रकरण में रास्ते में आने वाली भूमि का नाप कर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम, 70 के उप नियम ii (क) के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित की गई बाजार दर के दो गुने के आधार पर प्रतिकर की राशि की गणना कर प्रर्थी से प्रतिकर की राशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित अप्रार्थीगण खातेदारों को करवायें उसके उपरान्त रास्ते में आने वाली भूमि को राजस्व रेकार्ड में बतौर गे.मु. रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर टंकित करवाया गया।

(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
भवानीमण्डी

Scanned with OKEN Scanner